जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः—जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./11/डी—266 दिनांकः— 8-3-11

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 74वीं बैठक दिनांकः 28.02.11 को अपरान्ह 12.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन सभा कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :—

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		74:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 73वीं बैठक दिनांक 27.01.11 के कार्यवाही विवरण की पालना की समीक्षा एवं 52वीं से 73वीं बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा।	**I. 73वीं बैठक दिनांक 27.01.11:—** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 73वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। अधिकांश प्रकरणों में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होना शेष बताया गया। आयुक्त महोदय ने संबंधित जोन उपायुक्तों को निर्देश दिये कि उक्त प्रकरणो में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्ति हेतु पत्राचार किया जावे। 68वीं बैठक दिनांक 29.07.10 के प्रस्ताव सं. 68:8(4) में लिये गये निर्णय की पालना हेतु उपायुक्त जोन 5 को लिखा जावे कि वे आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रकरण रखना सुनिश्चित करे। भविष्य में जविप्रा की एक योजना से दूसरी योजना में भूखण्ड विनिमय के प्रार्थना पत्र किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किये जावें एवं पूर्व में इस प्रकार जो विनिमय किये गये है, उनकी समीक्षा हेतु संबंधित जोन आगामी बैठक में प्रकरण प्रस्तुत करे। केवल उपायुक्त जोन 4 व 5 द्वारा शुन्य सूचना प्रस्तुत की है। शेष उपायुक्त आगामी बैठक से पूर्व प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। प्रस्ताव सं. 68:8(8) पर दिनांक 29.07.10 को यह निर्णय लिया गया था कि ग्राम रामला का वास के खसरा नं. 15/1 में से 2 एकड़ भूमि ईसाई समाज के कब्रिस्तान एवं कम्यूनिटी हॉल हेतु आरक्षित करने की अभिशंषा के साथ राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ भिजवाने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण पर पुनः विचार किया जाकर निर्णय लिया गया कि भूमि आरक्षित की गई है। अतः राज्य सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। प्रस्ताव सं. 71:10(8), 71:10(9) व 71:10(10) जिसमें क्रमशः डा0 आई.टी. प्लेनेट, कामटेक के.पी.ओ. पार्क व टेक्नोस्क्राईब—ईन को भूमि आवंटन की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त हो चुकी है। किन्तु भूमि ईकॉलोजिकल क्षेत्र में स्थित होने के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है। अतः वस्तुस्थिति की

				रिपोर्ट के साथ प्रकरण नगरीय विकास विभाग को मार्ग दर्शन हेतु भिजवाया जावे व प्रति बीआईपी व उधोग विभाग को भी दी जावे। दस्तकार नगर हेतु ग्राम नायला में जो भूमि आरक्षित की गई थी, उसकी प्लानिंग की जाकर अग्रिम अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।
2.	9	74:2	श्री राजपूत सभा को जविप्रा द्वारा छात्र/छात्रा आवासगृह हेतु आवंटित भूमि के क्षेत्रफल में दुरूस्ती बाबत।	भूमि एवं समपत्ति निस्तारण समिति की बैठक दिनांक 10.03.05 में ग्राम श्रीकिशनपुरा के खसरा नं. 27, 24, 23 एवं 22 रकबा 0.28 है0 में से 6000 वर्गगज भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त ने बताया कि इस आदेश में खसरा नं. 19 रकबा 0.31 है0 अंकित होने से शेष रह गया था। इस कारण संस्था को आवंटित 6000 वर्गगज भूमि पूरी नहीं हो रही थी। अतः उक्त निर्णय में खसरा नं. 19 रकबा 0.31 है0 को सम्मिलित करते हुए कुल 0.59 है0 में से 6000 वर्गगज भूमि आवंटन करने की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया।
3.	9	74:3	रेलवे ओवरब्रिज 200 फीट महल रोड के विस्थापितों को आंवटित व्यावसायिक एवं आवासीय भूखण्डों का अनुमोदन करने बाबत।	प्रस्तादानुसार आवंटित भूखण्डो का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।
4.	11	74:4	श्री चांदमल चौधरी को बालमुकुन्दपुरा आवासीय योजना में भूखण्ड सं. बी–126 के स्थान पर बी–17ए विनिमय करने बाबत।	प्रस्तावानुसार भूखण्ड विनिमय का निर्णय लिया गया।
5.	13	74:5	श्री सूबेदार मेजर समदे खान, शौर्य चक्र धारक को भूखण्ड आवंटन बाबत।	प्रस्तावानुसार राजभवन योजना में भूखण्ड सं. बी–204 220 वर्गमीटर राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत आवासीय आरक्षित दर का 50 प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
6.	14	74:6	राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम लिमिटेड को 400 के.वी. जीएसएस हीरापुरा स्थापित करने हेतु ग्राम वाटिका में भूमि आवंटन बाबत।	प्रस्तावानुसार ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर के खसरा नं. 919 में से 3 है0 व खसरा नं. 1282 में से 3 है0 कुल 6 है0 भूमि नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प–3(208)नविवि/3/95/पार्ट दिनांक 06.08.09 के अनुसरण में आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय लिया गया।

आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–

1.	13	74:6(1)	सिद्धार्थ कान्वेंट स्कूल को ग्राम मोरीजा, तहसील चौमू में भूमि आवंटन बाबत।	प्रस्तावानुसार खसरा नं. 2407 में से 0.24 है0 भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया।
2.	7	74:6(2)	मोहता चिकित्सालय को आयुर्वेदिक औषधालय हेतु भूमि आवंटन बाबत।	प्रस्तावानुसार ग्राम हरनाथपुरा के खसरा नं. 27 में से 2000 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया।

3.	12	74:6(3)	विश्नोई समाज को मोक्षधाम हेतु भूमि आवंटन बाबत।	समाज द्वारा लम्बे समय से कब्रिस्तान हेतु उपायुक्त जोन 7 के क्षेत्र में भूमि आवंटन की मांग की जा रही थी, किन्तु इस क्षेत्र में भूमि उपलब्ध न होने के कारण संस्था ने ग्राम रामला का वास में ईसाई समाज के लिये आरक्षित भूमि के पास भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया। समिति द्वारा विचार–विमर्श के पश्चात संस्था को ग्राम रामला का वास के खसरा नं. 15/1 (ईसाई समाज के लिये आरक्षित भूमि के समीप) में से 1 (एक) एकड़ भूमि समाज के कब्रिस्तान हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई।

सदस्य (सचिव)
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त/अभि0/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/प्रशासन/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
16. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर
17. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 74वी बैठक दिनांक 28.02.11 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री सुधांश पंत, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्रीमती शुचि शर्मा, कार्यवाहक सचिव	सदस्य
3.	श्री डी.सी. जबडा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री वी.एस. सून्डा निदेशक (अभियांत्रिकी)	सदस्य
5.	श्री एच. एस. संचेती, निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य
6.	श्री शफी मोहम्मद कुरैशी, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
7.	श्रीमती दुर्गा जोशी, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
8.	श्री जाकिर हुसैन, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति)	विशेष आमंत्रित
9.	श्री राजेश कुमार चौहान, उपायुक्त जोन--2 व 6	विशेष आमंत्रित
10.	श्री राकेश शर्मा, उपायुक्त जोन-- 8	विशेष आमंत्रित
11.	श्री अनिल अग्रवाल, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
12.	श्री नरेन्द्र सिंह– उपायुक्त जोन--13	विशेष आमंत्रित
13.	श्री चैन सिंह राठौड, अधिशाषी अधिकारी, जोन–10	विशेष आमंत्रित
14.	श्री अब्दुल जब्बार, तहसीलदार, जोन–11	विशेष आमंत्रित
15.	श्री नरेश सिंह तंवर, तहसीलदार, जोन--14	विशेष आमंत्रित
16.	श्रीमती उषा जैन, जनसम्पर्क अधिकारी	विशेष आमंत्रित